पत्रावली आज कैम्प कोर्ट चंवरा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम चंवरा की सरहद में भूमि ख.नं. 87, 127 किता-2 कुल रकबा 3.19 हे. स्थित है। उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो रखा है। वादी व प्रतिवादी नं. 6 व 7 अपने हिस्से की भूमि का अलग खातेदारी का घोषणा करवाना चाहते है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 ने अपना जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के पेश किया है तथा कथन किया है कि वादी व प्रतिवादीगण मौके पर अपने हिस्से एवं कब्जा के अनुसार काबिज बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा धारा 53 के प्रावधान अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार अपने-अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वादपत्र एवं प्रतिवादी नं. 1 लगा. 4 का काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रारम्भिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम चंवरा के भूमि ख.नं. 87, 127 किता-2 कुल रकबा 3.19 हे. में वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।